



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072024-255836
CG-DL-E-28072024-255836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2850]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2850]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 2991(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3521(अ) तारीख 07/08/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में NH709AD के कि.मी. 53.600 से कि.मी. 111.650 (मुज़फ्फरनगर से मीरापुर खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23.11.2023" को "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "लोकसत्य" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में NH709AD के कि.मी. 53.600 से कि.मी. 111.650 (मुज़फ्फरनगर से मीरापुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: मुज़फ्फरनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मुज़फ्फरनगर					
गांव का नाम: शेरनगर					
1	1110	निजी (निजि)	कृषि	0.007	मायाफ़त टेनरीज़ प्रा. लिमिटेड 36 कृष्णापुरी मुन्नानगर/. निदेशक द्वारा/ नूरसलीम रान पुत्र लियाकत अली/। राणा नं. राणा हाउ एस मेरठ रोड/. मुनगर/. 1110
2	209	निजी (निजि)	कृषि	0.0158	मुकेश / हरीराम / ग्रा0 नि0 राकेश / हरीराम / ग्रा0 209
3	491	निजी (प्राइवेट)	कृषि	0.011	इलयास / फरजुद्दीन / नि0 ग्राम अब्बाश / फरजुद्दीन / नि0 ग्राम नूरहसन / फरजुद्दीन / नि0 ग्राम जहूरहसन / फरजुद्दीन / नि0 ग्राम वलयन पत्नी मुनसब व मौ० आसिफ व मौ० जासिफ पुत्र० मुनसब नि०ग्राम मुनफैत /

					फरजुद्दीन / नि० ग्राम 491
तालुक का नाम: जानसठ					
गांव का नाम: सिखेडा					
4	1120	निजी (निजि)	कृषि	0.006	मांगा / कबूल / नि०ग्राम 1120
गांव का नाम: सलारुपर					
5	545	निजी (निजि)	कृषि	0.0021	कलीराम / मेहरचन्द / नि०ग्राम०, मुकेश पुत्र चमन सिंह व श्रीमती सरोज पत्नी स्व० चमन सिंह निवासी ग्राम ओमबीर / मोहरू / नि०ग्राम० दयावती पत्नी सतपाल व कैलाश कुमार, विपिन, अशोक कुमार, सोनू, सुन्दर पुत्रगण सतपाल निवासीगण ग्राम, शौराज, राजपाल, तेजपाल, बिजेन्द्र, रोहताश पुत्रगण हुक्मचन्द निवासी ग्राम , मुन्नी पत्नी ज्ञानचन्द व देवेन्द्र कुमार सैनी, पवन कुमार सैनी पुत्रगण ज्ञानचन्द नि०ग्राम, मनोज कुमार पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम, विजयपाल सिंह / मेहर चंद / नि० ग्राम० 545
Total				0.0419	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 2991(E).—In—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3521(E) Dated:07/08/2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH709AD in the stretch of land from Km. 53.600 to Km. 111.650 (Muzaffarnagar to Mirapur Section) in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Times of India*” and “*Loksatya*” both dated 23.11.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH709AD in the stretch of land from Km. 53.600 to Km. 111.650 (Muzaffarnagar to Mirapur) in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: MUZAFFARNAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Muzaffarnagar					
Village: Shernagar					
1	1110	Private	Agriculture	0.007	Mayafat Tanneries Pvt. Ltd. 36 Krishnapuri Munnagar/. By Director/. Noorsaleem Ran s/o Liaqat Ali/. Rana No. Rana How S Meerut Road /. Munagar/. 1110
2	209	Private	Agriculture	0.0158	Mukesh / Hariram / Gram Ni Rakesh / Hariram / Village 209
3	491	Private	Agriculture	0.011	Ilyas/Farzudrin/Ni Gram Abbas/Farzudrin/Ni Gram Noorhassan/Farzudrin/Ni Gram Jahurhasan / Farjudrin / Ni 0 Gram Valyan wife Munsab and Mau Asif and Mau Jasif

					son Munsab Nigram Munfait/Farjudrin/Ni Gram 491
Taluk: Jansath					
Village: Sikhera					
4	1120	Private	Agriculture	0.006	Manga/Kabool 1120
Village: Salarpur					
5	545	Private	Agriculture	0.0021	Kaliram / Meharchand / NR, Mukesh son of Chaman Singh and Mrs. Saroj wife of late Chaman Singh resident of village Ombeer/Mohru/Nigra Dayawati wife Satpal and Kailash Kumar, Vipin, Ashok Kumar, Sonu, Sundar sons Satpal residents village, Shauraj, Rajpal, Tejpal, Bijendra, Rohtash sons resident Hukamchand village, Munni wife Gyanchand and Devendra Kumar Saini, Pawan Kumar Saini sons Gyanchand Nirgram, Manoj Kumar son of Vijaypal Singh resident of village, Vijaypal Singh / Mehar Chand / N.G. 545
Total				0.0419	

[F. No. NHAI/PIU-BPT/11011(P-S-M)/2018/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.